(111)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 5232–दो/2016 – विरुद्ध आदेश दिनांक 20–4–16 एंव 5–4–16 – पारित व्दारा – तहसीलदार हुजूर जिला रीवा – प्रकरण कमांक 98 अ–6/2012–13

1– कामताप्रसवाद 2– विद्याप्रकाश 3– सतीष कुमार
4– वरुणकुमार पुत्रगण राजधर तिवारी
ग्राम बगदरा तहसील हुजूर जिला रीवा ———आवेदकगण

विरुद्ध

1–श्रीमती इन्दुप्रभा देवी पत्नि स्व.जगदीश तिवारी
निवासी ग्राम बगदरा तहसील हुजूर जिला रीवा
मृत वारिस अनावेदक कमांक–2
2– श्रीमती कोशल्या देवी उर्फ धोरिया उर्फ सुशीला
पत्नि रामगोपाल दुवे ग्राम जिवला तहसील
रायपुर कर्चुलिया जिला रीवा
3– विद्याभूषण 4– विद्याभास्कर 5– विद्या बिनोद
6– विद्यावारिध पुत्रगण स्व.रघुवीरप्रसाद तिवारी
चारों ग्राम बगदरा तहसील हुजूर जिला रीवा ———अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री कामताप्रसाद तिवारी स्वयं)
(अना.क. 3 से 6 के अभिभाषक श्री उमेश चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 09 –2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 98 अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–4–16, 5–5–16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पुतरी की कुल किता 16 कुल रकबा 5.190 हैक्टर एंव ग्राम बोदा की भूमि सर्वे कमांक 952/1 रकबा 0.132 हैक्टर के आधा हिस्सा पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 98 अ–6/12–13 पॅजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान अनावेदक कमांक 3 से 6 से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वाद विचारित भूमि सर्वे कमांक 838 एंव अन्य एक सर्वे नंबर की भूमि उनके स्वत्व की होने से हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने एंव सुने जाने की मांग की। तहसीलदार हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 98 अ–6/ 2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–4–16 से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 का आवेदन स्वीकार किया, जिसके कम में मूल दावे में पक्षकारों में सॅशोधन न करने के कारण आगामी पेशी 5–5–16 पर पक्षकारों में सॅशोधन करना आदेशित किया। इन्हीं आदेशों से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये। अनावेदक कमांक 3 से 6 के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से तथा अनावेदक कमांक 3 से 6 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि अनावेदक कमांक 3 से 6 से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वाद विचारित भूमियों में से दो सर्वे नंबरों की भूमि उनकी होना उल्लेखित करते हुये हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने की मांग की है जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश

दिनांक 24–5–16 से स्वीकार किया है। जब अनावेदक कमांक 3 से 6 वाद विचारित भूमियों में से भूमि सर्वे कमांक 838 एंव अन्य एक सर्वे नंबर की भूमि उनके स्वत्व की बताने के कारण हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाये जाने की मांग कर रहे हैं तब उन्हें भी पक्षकार बनाकर सुना जाना लाजमी है क्योंकि यह जॉच का विषय है कि भूमि सर्वे कमांक 838 एंव अन्य एक सर्वे नंबर से उनके हित कहां तक जुड़े है और यदि उनके हित जुड़े न होना आवेदकगण सुनवाई के दौरान प्रमाणित करते हैं निश्चित् है आवेदकगण लाभ लेने के पात्र रहेंगे एंव अनावेदक कमांक 3 से 6 को अनुतोष प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण आवेदकगण व्दारा तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 20–4–16 एंव 5–5–16 के विरुद्ध निगरानी करना सार्थक पहल नहीं है जो स्वयं आवेदकगण का एंव वरिष्ठ न्यायालय के समय की ववर्द्धी करना प्रतीत होता हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 98 अ–6/ 2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–4–16, 5–5–16 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर